



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2019/वैशाख 26, 1941

No. 308]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2019/VAISAKHA 26, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2019

सा. का. नि. 369(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तों) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "कर्मचारी" से प्राधिकरण के कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जिसमें सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3. कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति –

- (1) प्रत्येक स्तर या श्रेणी में मंजूर पदों की संख्या, भर्ती की रीति, पात्रता और प्रत्येक स्तर या श्रेणी के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी।
- (2) सभी स्तर या श्रेणी में नियुक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार होगी।
- (3) प्राधिकरण, सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, उनकी अभ्यर्थिता की उपयुक्तता की जांच करेगा और चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति को पात्र अभ्यर्थियों की सूची देगा।
- (4) प्राधिकरण, सभी पदों पर विचार करने और नियुक्ति करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशें केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

4. वेतन, भत्ते और अन्य फायदे –

- (1) प्राधिकरण के कर्मचारी का वेतन केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित वेतन मैट्रिक में स्तर के अनुसार या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान होगा।
- (2) संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी या तो संवर्ग-बाह्य पद के वेतनमान में वेतन लेने या प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ मूल संवर्ग में से अपने वेतन लेने का चुनाव कर सकेगा।
- (3) प्राधिकरण के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, नये पेंशन स्कीम द्वारा शासित किए जाएंगे।
- (4) प्राधिकरण के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, वे पेंशन और सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं के पात्र होंगे, जो उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन, यदि कोई हो, में उन्हें उपलब्ध है।
- (5) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी के लिए प्राधिकरण समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी निबंधन और शर्तों पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए समय-समय पर ऐसी स्कीमों की विरचना कर सकेगी या ऐसे अन्य फायदों की अनुमति दे सकेगी।

5. शासकीय विदेशी दौरे – (1) प्राधिकरण में सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के शासकीय विदेशी दौरे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे।

(2) समय-समय पर यथासंशोधित विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे।

6. अवशिष्ट उपबंध – प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को इसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

7. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद या गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. सचिव	01* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	स्तर-14 (रु.144200-218200)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रुपए) के स्तर 14 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (131100-216600 रुपए) के स्तर 13क में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रुपए) के स्तर 13 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;	1. सचिव (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय) - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय) - सदस्य 4. केंद्रीय सरकार द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य।	लागू नहीं होता

	<p>और</p> <p>जिन्होंने वित्त, अर्थशास्त्र, अन्वेषण, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन से संबंधित मामलों में संव्यवहार करने का कम से कम बीस वर्ष का अर्हता अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. कार्यकारी निदेशक	05* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	रुपए 120500-3500(2)- 127500(3)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।	<p>प्रोन्नति : श्रेणी 'च' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा :</p> <p>अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने कम से कम अठारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो:</p> <p>(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित आधार</p>	<ol style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त 	लागू नहीं होता

	<p>पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रुपए) के स्तर 13 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा हो;</p> <p>और विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण, प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम छह वर्ष का पञ्च अर्हता अनुभव हो; या</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में बीस से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो।</p> <p style="text-align: center;">और</p> <p>निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।</p> <p>आवश्यक: वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर</p> <p>बांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री</p> <p>प्रोन्नति:</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,</p>	<p>सचिव - सदस्य</p> <p>4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य।</p>	
--	--	--	--

	<p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)	04* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	श्रेणी च (रु. 101900-3000(4)-113900(5))	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: श्रेणी 'ड.' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा:</p> <p>अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पञ्च अर्हता अनुभव हो; या</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय,</p>	<ol style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव - सदस्य राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य। 	लागू नहीं होता

पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में चौदह से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो।

और

निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

आवश्यक: वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर

वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री

प्रोन्नति:

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. महाप्रबंधक (जीएम)	04* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	श्रेणी ड 72800-2250/- (1) – 75050-2400 (2) - 79850- 2500 (3) - 87350-3000 (5) – 102350 (12) रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।	<p>प्रोन्नति: श्रेणी 'घ' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा: अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण, प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पञ्च अर्हता अनुभव हो;</p> <p>या</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिन्हें अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में चौदह से कम का अनुभव न हो, जिसमें विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का पञ्च अर्हता अनुभव हो।</p> <p>और</p> <p>निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।</p> <p>आवश्यक : वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य 3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव - सदस्य 4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य। 	लागू नहीं होता

	<p>विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री</p> <p>प्रोन्नति:</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. उप महाप्रबंधक (डीजीएम)	05* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	श्रेणी घ 68500-2150 (2) – 72800-2250 (6) – 86300 (9) रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: श्रेणी 'ग' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा:</p> <p>अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में हो;</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) के स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि, अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पञ्च अर्हता अनुभव हो; और</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में दस से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो।</p> <p>और</p> <p>निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।</p> <p>आवश्यक: वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री</p> <p>प्रोन्नति:</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य 3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव - सदस्य 4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता</p>

	<p>अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. सहायक महाप्रबंधक (एजीएम)	08* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	श्रेणी ग 49000-1750 (3) – 54250-1900 (2) – 58050 - 2000 (4) 66050-ईबी-2000 (2)-70050-2150(1) 72200 (13) रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: श्रेणी 'ख' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा:</p> <p>अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) के स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की और विधि, अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का पञ्च अर्हता अनुभव हो; या</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में दस से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो।</p> <p>और</p> <p>निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।</p> <p>आवश्यक: वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री</p> <p>प्रोन्नति:</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में</p>	<ol style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव - सदस्य राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता</p>

	<p>प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. प्रबंधक	13* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	समूह ख रु. 35150-1750 (9)- 50900-ईबी-1750(2)- 54400-2000(4)- 62400 (16)	चयन	21 से 30 वर्ष के मध्य	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विद्या में स्नातकोत्तर या चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्त या लेखांकन चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण या विधि में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात के साथ प्रशासन लेखा परीक्षण, लेखा-कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेषण, विधि के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात् न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(क) चालीस प्रतिशत: सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा के पश्चात् वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से)</p> <p>(ख) तीस प्रतिशत: प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>(ग) तीस प्रतिशत* प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के आधार पर</p>	<p>प्रोन्नति: समूह क में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी और कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 ₹0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सेवा की हो ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 ₹0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो ; और जिनके पास प्रशासन, लेखा परीक्षण, लेखा-कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेषण, विधि के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव है। या</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष -अध्यक्ष ; 2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य ; 3. उप-सचिव या निदेशक (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट मामले मंत्रालय) -सदस्य ; 4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा नामित एक वाह्य विशेषज्ञ -सदस्य 	लागू नहीं होता

		<p>भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विनियामक निकायों, कानूनी निकायों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अन्य सरकारी संस्थानों के अधिकारी जिनके पास कम से कम छह वर्ष का अनुभव अधिकारी काडर में या कनिष्ठ प्रबंधन समूह में हो और जिसमें से अर्हता के पश्चात् न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्रशासन, लेखा परीक्षण, लेखा-कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेक्षण, विधि के क्षेत्र में हो,</p> <p>और</p> <p>जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं,-</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विद्या में स्नातकोत्तर या चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्त या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण या विधि में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात के साथ प्रशासन, लेखा- परीक्षण, लेखा-कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेक्षण, विधि के क्षेत्र में अर्हता।</p> <p>प्रोन्नति:</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ</p>		
--	--	---	--	--

		<p>व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>टिप्पण--पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर</p>		
--	--	---	--	--

			प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी यह दो और वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक प्रबंधक	13* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	समूह क रु. 28150-1550 (4)- 34350-1750(7)-46600- ईबी-1750(4)-53600- 2000(1)- 55600	चयन	21 से 30 वर्ष के मध्य	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या किसी अन्य विद्या में निष्णात या वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी स्नातक या चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्त या लेखांकन या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण या विधि में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात अर्हता के पश्चात् लेखांकन या लेखा परीक्षण या विधि या बैंक में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(क) साठ प्रतिशत: सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा के पश्चात् वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से)</p> <p>(ख) चालीस प्रतिशत-प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के आधार पर जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सेवा की हो ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ;</p> <p>और जिनके पास प्रशासन लेखा परीक्षण, लेखा-कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेषण, विधि के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव है।</p> <p>या</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विनियामक निकायों, कानूनी निकायों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे</p>	<p>1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;</p> <p>2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य- सदस्य ;</p> <p>3. उप-सचिव या निदेशक (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट मामले मंत्रालय)-सदस्य ;</p> <p>4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा नामित एक वाह्य विशेषज्ञ -सदस्य</p>	लागू नहीं होता

		<p>अधिकारी जिनके पास कम से कम दो वर्ष का सुसंगत अनुभव अधिकारी काडर में या कनिष्ठ प्रबंधन समूह में है</p> <p>और</p> <p>जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं,-</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या किसी अन्य विद्या में निष्णात या वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी स्नातक या चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्त या लेखांकन या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण या विधि में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>टिप्पण -- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी</p>		
--	--	---	--	--

			<p>या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी यह दो और वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी तथा प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. वैयक्तिक या साधारण सहायक	4* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	श्रेणी-3 रु. 20650-1150 (3)-24100-1225(1)-25325-1325(3)-29300-1475(6)-38150-1525(2)-41200-1740(2)-44680'-1875(1)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी और कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:	<p>1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का सचिव -अध्यक्ष ;</p> <p>2. उप -सचिव या निदेशक (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट मामले मंत्रालय) -सदस्य</p> <p>3. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण - सदस्य ;</p>	लागू नहीं होता

		<p>(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ;</p> <p>और</p> <p>जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं:-</p> <p>आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>वांछनीय:- (i) विनियामक प्राधिकरण या कानूनी निकायों या अन्य सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव ।</p> <p>(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।</p> <p>(iii) टंकण और आशुलिपि में कौशल।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>टिप्पण --पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के</p>		
--	--	---	--	--

			<p>लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।)</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी यह दो और वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी तथा प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	03 *(2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	लागू नहीं होता	ग्रेड 2 13150- 750(3)- 15400- 900(4)- 19000-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा -	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ लोक राज्य क्षेत्र/लोक सेवा उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जिन्होंने मूल काँडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण	1.सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. उपसचिव या निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -सदस्य	लागू नहीं होता

	सकता है।		1200(6)- 26200- 1300(2)- 28800- 1480(3)- 33240- 1750(1)- 34990 रु.।							<p>किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>और,</p> <p>जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो :-</p> <p>आवश्यक - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री या समतुल्य ; और</p> <p>वांछनीय -</p> <p>(i) किसी विनियामक प्राधिकरण या कानूनी निकायों या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने का अनुभव ;</p> <p>(ii) कंप्यूटर में कार्य का ज्ञान ;</p> <p>(iii) आशुलिपि तथा टंकण में कौशल प्राप्त हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक</p>	<p>3. कार्यपालिका निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -सदस्य</p>	
--	----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.	03 वैयक्तिक या सामान्य सहायक *(2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	लागू नहीं होता	ग्रेड 1 10940-380(4)-12460-440(3)-13780-520(3)-15340-690(2)-16720-860(4)-20160-1180(3)-23700 रू।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ लोक राज्य क्षेत्र/लोक सेवा उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21,700-69,100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। और, जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो :- आवश्यक - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री या समतुल्य ; और	1.सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2.उपसचिव या निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय -सदस्य 3.कार्यपालिका निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -सदस्य	लागू नहीं होता

										<p>वांछनीय -</p> <p>(i) किसी विनियामक प्राधिकरण या कानूनी निकायों या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने का अनुभव ;</p> <p>(ii) कंप्यूटर में कार्य का ज्ञान ;</p> <p>(iii) आशुलिपि तथा टंकण में कौशल प्राप्त हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12. वरिष्ठ निजी सचिव	03 *(2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	लागू नहीं होता	स्तर 8 (47600-105900 रू.)।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, (47,600-15,1100) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, (44,900-1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। और जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता हो- आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या समतुल्य। वांछनीय : किसी विनियामक प्राधिकरण या कानूनी निकायों या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने का अनुभव। प्रतिनियुक्ति : टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	1. सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. मुख्य महा प्रबंधक या महा प्रबंधक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय -सदस्य 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, -सदस्य	लागू नहीं होता

											(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13. निजी सचिव	01 *(2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	लागू नहीं होता	स्तर 7 (44900-99800 रू.)।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, (44,900-1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35400-1,12,400,) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। और, जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता हो-	1. सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. मुख्य महा प्रबंधक या महा प्रबंधक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -सदस्य 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, -सदस्य	लागू नहीं होता

										<p>आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>वांछनीय : किसी विनियामक प्राधिकरण या कानूनी निकायों या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने का अनुभव ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14. चालक	02	लागू नहीं	ग्रेड 2	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियोजन के लिए दो	प्रतिनियुक्ति ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	1. सचिव, राष्ट्रीय	लागू नहीं

	*(2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	होता।	(19,900-44,400 रू.)।		होता।	होता।	होता।	वर्ष।	सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	<p>कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19,900-63,900) रूप में नियमित समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में, जो मोटर कार चलाने के लिए सक्षमता प्राप्त करने की चालक परीक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो जिसके न हो सकने पर, सवार हरकारा का पद धारण करने वाले कर्मचारिवृन्द या केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19,900-63,900) रूप में नियमित समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द में से रखा जाएगा ;</p> <p>आवश्यक -</p> <p>(1) जो मोटर कार के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो ;</p> <p>(2) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी त्रुटियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए) ;</p> <p>(3) न्यूनतम तीन वर्ष के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव होना चाहिए ; और,</p> <p>(4) दसवीं कक्षा पास</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं</p>	<p>रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष</p> <p>2. मुख्य महा प्रबंधक या महा प्रबंधक, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -सदस्य</p> <p>3. अवर सचिव, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, -सदस्य</p>	होता
--	--	-------	----------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	---	---	------

										<p>या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

[फा. सं. एनएफआरए-01/1/2019-कॉम्प.-एमसीए]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2019

G.S.R. 369 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 132 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and Other Employees of Authority) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “Authority” means the National Financial Reporting Authority (NFRA) constituted under sub-section (1) of section 132 of the Act;

(c) “employee” means employee of the Authority including Secretary, Officers and other employees;

(d) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Recruitment and appointment of employees.- (1) The number of posts sanctioned at each level or grade, mode of recruitment, eligibility and composition of Departmental Promotion Committee for each levels or grade shall be such as specified in the Schedule.

(2) Appointment in all levels or grade shall be made by the Central Government as per the recommendations of the Departmental Promotion Committee as specified in the Schedule.

(3) The Authority shall invite applications from eligible candidates after observing due process, examine suitability of their candidature and provide the list of eligible candidates to the Departmental Promotion Committee to undertake the selection process.

(4) The Authority shall forward the recommendations of the Departmental Promotion Committee to the Central Government for consideration and appointment to all the posts.

4. Pay, allowances and other benefits.- (1) Pay of an employee of the Authority shall be such as per the Level in pay matrix as approved by the Central Government or pay scale as specified in the Schedule.

(2) An employee appointed on deputation to an ex-cadre post may elect to draw either the pay in the scale of pay of the ex-cadre post or his pay in the parent cadre with deputation allowance.

(3) The Secretary, officers and employees of the Authority who are not on deputation shall be governed by the new pension scheme.

(4) The Secretary, officers and employees of the Authority who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or organization.

(5) For an employee other than an employee on deputation to the Authority, the Authority may, from time to time, frame such schemes and allow such other benefits for the welfare of the employees on such terms and conditions as may be approved by the Central Government from time to time.

5. Official visits abroad.- (1) The official visits to abroad by Secretary, officers and other employees of the Authority shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson of the Authority or any other Member or officer of the Authority authorized by the Chairperson.

(2) Instructions issued by Ministry of External Affairs and Ministry of Finance as amended from time to time shall be applicable.

6. Residuary provision.- Matters relating to the terms and conditions of service of the Secretary, Officers and Other Employees of the Authority with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government shall be binding on the parties.

7. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Secretary	01 *(2019). * (Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Level-14 (Rs.144200-218200)	Selection.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation	Group A Officers from All India or Central Civil Services: (i) in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix; or (ii) with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 13A	1. Secretary (Ministry of Corporate Affairs)-Chairman; 2. Chairperson (National Financial Reporting Authority)-Member; 3. Joint Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member;	Not applicable.

										<p>(Rs. 131100-216600) in the pay matrix; or</p> <p>(iii) with three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix.</p> <p>AND</p> <p>Possessing a minimum of twenty years' experience in dealing with issues relating to finance, economics, investigation, accountancy, audit, administration.</p> <p>Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for</p>	<p>4. One External Expert to be nominated by the Central Government-Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										<p>appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year. The maximum age-limit for</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. Executive Director	05 *(2019). *(Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Rs.120500- 3500(2)- 127500(3)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing which by deputation or Short Term Contract	Promotion: Minimum three years of service in Grade F. Deputation or Short Term Contract: Group A Officers from All India or Central Civil Services who has completed minimum eighteen years' service: (i) with eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 12 (Rs. 78800-	1. Chairperson, National Financial Reporting Authority- Chairman; 2. One Full- time Member, National Financial Reporting Authority - Member; 3. Joint Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)- Member; 4. One External Expert to be	Not applicable

										<p>209200) in the pay matrix; or</p> <p>(ii) with six years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix; and</p> <p>minimum six years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration</p> <p>OR</p> <p>Officers from Reserve Bank of India, Banks, Financial Institutions, regulatory bodies, statutory bodies, Public Sector Undertakings and other</p>	<p>nominated by National Financial Reporting Authority-Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>Government institutions with not less than twenty years of experience in the officer cadre, of which, minimum fifteen years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Master of Business Administration or equivalent with specialization in Finance or Chartered Accountant or Chartered Financial Analyst or Post graduation in</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Economics, Finance or any other discipline, from a recognised University or Institution.</p> <p>Desirable: Degree in Law from recognised university.</p> <p>Promotion: Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. Chief General Manager (CGM)	04 *(2019) * (Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Grade F Rs. 101900-3000(4)-113900(5)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing which by deputation or Short Term Contract	<p>Promotion: Minimum three years of service in Grade E.</p> <p>Deputation or Short Term Contract: Group A Officers from All India or Central Civil Services: (i) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix; or (ii) with ten years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix; and minimum five</p>	<p>1. Chairperson, National Financial Reporting Authority-Chairman;</p> <p>2. One Full-time Member, National Financial Reporting Authority-Member;</p> <p>3. Joint Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member;</p> <p>4. One External Expert to be nominated by National Financial Reporting Authority-Member.</p>	Not applicable

										<p>years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration</p> <p>OR</p> <p>Officers From Reserve Bank of India, Banks, Financial Institutions, regulatory bodies, statutory bodies, Public Sector Undertakings and other Government institutions with not less than fourteen years of experience in the officer cadre, of which, minimum seven years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Finance,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Economics, Accountancy, Auditing, Administration</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Master of Business Administration or equivalent with specialization in Finance or Chartered Accountant or Chartered Financial Analyst or Post graduation in Economics, Finance or any other discipline, from a recognised University or Institution.</p> <p>Desirable: Degree in Law from recognised university.</p> <p>Promotion: Note: Where</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p> juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4. General Manager (GM)	04 *(2019). *(Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Grade E Rs. 72800- 2250 (1)- 75050-2400 (2)- 79850- 2500 (3)- 87350-3000 (5)- 102350 (12)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing which by deputation or Short Term Contract	Promotion: Minimum three years of service in Grade D. Deputation or Short Term Contract: Group A Officers from All India or Central Civil Services:	1. Chairperson, National Financial Reporting Authority- Chairman; 2. One Full- time Member, National Financial Reporting Authority- Member;	Not applicable

										<p>(i) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix; or</p> <p>(ii) with ten years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix; and</p> <p>minimum five years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration</p> <p>OR</p> <p>Officers From Reserve Bank of India,</p>	<p>3. Joint Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member;</p> <p>4. One External Expert to be nominated by National Financial Reporting Authority-Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

										<p>Banks, Financial Institutions, regulatory bodies, statutory bodies, Public Sector Undertakings and other Government institutions with not less than fourteen years of experience in the officer cadre or management grade, of which, minimum seven years post- qualification experience in the fields of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Master of Business</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>Administration or equivalent with specialization in Finance or Chartered Accountant or Chartered Financial Analyst or Post graduation in Economics, Finance or any other discipline, from a recognised University or Institution.</p> <p>Desirable: Degree in Law from recognised university.</p> <p>Promotion: Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										<p>of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year. The maximum age-limit for appointment by deputation</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5. Deputy General Manager (DGM).	05 *(2019). * (Subject to variation dependent on workload).	Not applicable.	Grade D Rs. 68500-2150 (2)-72800-2250(6)-86300 (9).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation or Short Term Contract.	Promotion: Minimum three years of service in Grade C. Deputation or Short Term Contract: Group A Officers from All India or Central Civil Services: (i) in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix; or (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on	1. Chairperson, National Financial Reporting Authority-Chairman; 2. One Full-time Member, National Financial Reporting Authority-Member; 3. Deputy Secretary or Director (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member; 4. One External Expert to be	Not applicable.

										<p>regular basis in Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix; or</p> <p>(iii) with nine years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix; and</p> <p>minimum three years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Information Technology, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration;</p> <p>OR</p> <p>Officers from Reserve Bank of India, Banks, Financial Institutions, regulatory bodies, statutory</p>	<p>nominated by National Financial Reporting Authority-Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>bodies, Public Sector Undertakings and other Government institutions with not less than ten years of experience in the officer cadre or Management grade, of which, minimum five years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Information Technology, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Chartered Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance or</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Accounting or Chartered Financial Analysis or Post graduation in Commerce, Economics, Finance or any other discipline, from a recognized University or Institution.</p> <p>Desirable: Degree in Law from a recognized university.</p> <p>Promotion: Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6. Assistant General Manager (AGM)	08 *(2019). * (Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Grade C Rs. 49000- 1750 (3)- 54250- 1900 (2)- 58050- 2000 (4)- 66050- EB- 2000(2)- 70050- 2150(1) - 72200 (13).	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing which by deputation or Short Term Contract	Promotion: Minimum three years of service in Grade B. Deputation or Short Term Contract: Group A Officers from All India or Central Civil Services: (i) with three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix; or (ii) with seven years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix; and minimum three years post- qualification	1. Chairperson, National Financial Reporting Authority- Chairman; 2. One Full- time Member, National Financial Reporting Authority- Member; 3. Deputy Secretary or Director (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)- Member; 4. One External Expert to be nominated by National Financial Reporting Authority- Member.	Not applicable

									<p>experience in the fields of law, investigation, Information Technology, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration;</p> <p>OR</p> <p>Officers from Reserve Bank of India, Banks, Financial Institutions, regulatory bodies, statutory bodies, Public Sector Undertakings and other Government institutions with not less than ten years of experience in the officer cadre or Management Grade, of which, minimum five years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Information</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>Technology, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Chartered Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance or Accounting or Chartered Financial Analysis or Post graduation in Commerce, Economics, Finance or any other discipline, from a recognized University or Institution.</p> <p>Desirable: Degree in Law from a recognized university.</p> <p>Promotion: Note: Where</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p> juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. </p> <p> Deputation: Note: </p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										years and the maximum period of deputation shall not exceed five year. The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7. Manager	13 *(2019). * (Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Grade B Rs.35150-1750(9)-50900-EB-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16)	Selection	Between twenty one and thirty years	Chartered Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance or Accounting or Chartered Financial Analysis or Law or Post-Graduation in Commerce, Economics, Finance or any other discipline, from a recognized	Not applicable	Two years in case of direct recruitment	(a) Direct Recruitment: Forty percent (Through written exam followed by personal interview). (b) Promotion failing which by direct recruitment: Thirty percent, (c) Deputation*	Promotion: Minimum three years of service in Grade- A Deputation: Deputation or Short Term Contract: An officer of Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings	1. Chairperson, National Financial Reporting Authority-Chairman; 2. One Full-time Member, National Financial Reporting Authority-Member; 3. Deputy Secretary or Director (National	Not applicable

										<p>Officers from Reserve Bank of India, Banks, Financial Institutions, regulatory bodies, statutory bodies, Public Sector Undertakings and other government institutions with not less than six years of experience in the officer cadre or Junior Management grade, of which, minimum three years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Information, Technology, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>Chartered Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance or Accounting or Chartered Financial Analysis or Law or Post-Graduation in Commerce, Economics, Finance or any other discipline, from a recognized University or Institution.</p> <p>Promotion: Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year. The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8. Assistant Manager	13 *(2019) * (Subject to variation dependent on workload).	Not applicable	Grade A Rs. 28150- 1550(4)- 34350- 1750(7)- 46600- EB-1750 (4)- 53600- 2000(1)- 55600.	Selection	Between twenty one and thirty years.	Chartered Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance or Accounting or Chartered Financial Analysis or Law or Graduation in Commerce, Economics, Finance, Bachelor of Technology in Computer Science or Engineering or Master in Computer Application or any other discipline, from a recognised University or Institution with a minimum of two years of post- qualification experience in accounting or auditing or law or bank.	Not applicable.	Two years in case of direct recruitment.	(a) Direct Recruitment: Sixty percent. (Through written exam followed by personal interview). (b) Deputation or Short Term Contract basis failing which by direct recruitment: Forty percent.	Deputation or Short Term Contract: An officer of Central Government or State Governments, or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous and statutory bodies: (i) with regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix; or (ii) with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix; and	1. Chairperson, National Financial Reporting Authority- Chairman; 2. One Full- time Member, National Financial Reporting Authority- Member; 3. Deputy Secretary or Director (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)- Member; 4. One External Expert to be nominated by National Financial Reporting Authority- Member.	Not applicable

									<p>minimum two years post-qualification experience in the fields of law, investigation, Information Technology, Finance, Economics, Accountancy, Auditing, Administration.</p> <p>OR</p> <p>Officers from Reserve Bank of India, Banks, Financial Institutions, regulatory bodies, statutory bodies, Public Sector Undertakings and other government institutions with a minimum of two years of relevant experience in the officer cadre or Junior management grade.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>following educational qualification:</p> <p>Chartered Accountant or Master of Business Administration with specialization in Finance or Accounting or Chartered Financial Analysis or Law or Graduation in Commerce, Economics, Finance, Bachelor of Technology in Computer Science or Engineering or Master in Computer Application or any other discipline, from a recognised University or Institution.</p> <p>Deputation:</p> <p>Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											year. The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9. Personal or General Assistant.	4 *(2019). *(Subject to variation dependent on workload).	Not applicable.	Grade III Rs.20650- 1150(3)- 24100- 1225(1)- 25325- 1325(3)- 29300- 1475(6)- 38150- 1525(2)- 41200- 1740(2)- 44680- 1875(1).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation or Short Term Contract.	Deputation (including short-term contract): An officer of Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous and statutory bodies: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of six years of	1. Secretary, National Financial Reporting Authority- Chairman; 2. Deputy Secretary or Director (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs- Member; 3. Executive Director, National Financial Reporting Authority- Member.	Not applicable.

										<p>regular service, in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Graduate degree from a recognized university or equivalent.</p> <p>Desirable: (i) working experience in dealing with Regulatory Authority or Statutory Bodies or Other Government Institutions;</p> <p>(ii) working knowledge of computer;</p> <p>(iii) skill in stenography and typing.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year. The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10. Personal or General Assistant.	03 *(2019). *(Subject to variation dependent on workload).	Not applicable.	Grade II Rs.13150- 750(3)- 15400- 900(4)- 19000- 1200(6)- 26200- 1300(2)- 28800- 1480(3)- 33240- 1750(1)- 34990.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation or Short Term Contract.	Deputation (including short-term contract): An officer of Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous and statutory bodies:	1. Secretary, National Financial Reporting Authority- Chairman; 2. Deputy Secretary or Director (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-	Not applicable.

										<p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of four years of regular service, in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Graduate degree from a recognized university or equivalent.</p> <p>Desirable: (i) working experience in dealing with Regulatory Authority or Statutory Bodies or</p>	<p>Member;</p> <p>3. Executive Director, National Financial Reporting Authority-Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										<p>Other Government Institutions;</p> <p>(ii) working knowledge of computer;</p> <p>(iii) skill in stenography and typing.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11. Personal or General Assistant.	03 *(2019). *(Subject to variation dependent on	Not applicable.	Grade I Rs.10940- 380(4)- 12460- 440(3)- 13780- 520(3)-	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation or Short Term Contract.	Deputation (including short-term contract): An officer of Central Government or	1. Secretary, National Financial Reporting Authority- Chairman; 2. Deputy	Not applicable.

	workload).		15340-690(2)-16720-860(4)-20160-1180(3)-23700.							<p>State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous and statutory bodies:</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum of two years of regular service, in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix or equivalent.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Essential: Graduate degree from a recognized university or equivalent.</p>	<p>Secretary or Director (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member;</p> <p>3. Executive Director, National Financial Reporting Authority-Member.</p>	
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										<p>Desirable:</p> <p>(i) working experience in dealing with Regulatory Authority or Statutory Bodies or Other Government Institutions;</p> <p>(ii) working knowledge of computer;</p> <p>(iii) skill in stenography and typing.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12. Sr. PS.	03 *(2019). * (Subject to variation dependent on workload).	Not applicable.	Level 8 (Rs. 47600-105900).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation or Short Term Contract.	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>An officer of Central Government or State Governments or Union territories:</p> <p>(i) in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 8 (47600-151100) in the pay matrix or equivalent; or</p> <p>(ii) with a minimum of four years of regular service, in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p>	<p>1. Secretary, National Financial Reporting Authority-Chairman;</p> <p>2. Chief General Manager or General Manager, National Financial Reporting Authority-Member;</p> <p>3. Under Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member.</p>	Not applicable.

										<p>Essential: Graduate degree from a recognized university or equivalent.</p> <p>Desirable: Working experience in regulatory Authority or Statutory Bodies or Other Government Institutions.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13. Private Secretary	01 *(2019). * (Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Level 7 (Rs. 44900- 99800)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation or Short Term Contract	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>An officer of Central Government or State Governments or Union territories:</p> <p>(i) in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent; or</p> <p>(ii) with a minimum of four years of regular service, in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> <p>AND</p> <p>Possessing the following educational qualification:</p>	<p>1. Secretary, National Financial Reporting Authority-Chairman;</p> <p>2. Chief General Manager or General Manager, National Financial Reporting Authority-Member;</p> <p>3. Under Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member.</p>	Not applicable

										<p>Essential: Graduate degree from a recognized university or equivalent.</p> <p>Desirable: Working experience in regulatory Authority or Statutory Bodies or Other Government Institutions.</p> <p>Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14. Driver	02 *(2019). *(Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Level 2 (Rs. 19900-44400)	Non selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed	Deputation. For Armed Forces personnel: Deputation or re-employment.	Deputation: From amongst the regular Group C employees in level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix in the Ministry of Corporate Affairs who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government. Essential: (1) Possession of a valid	1. Secretary, National Financial Reporting Authority-Chairman; 2. Chief General Manager or General Manager, National Financial Reporting Authority-Member; 3. Under Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member.	Not applicable

										<p>driving license for motor cars;</p> <p>(2) Knowledge of motor mechanism</p> <p>(The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(3) Experience of driving a motor car for at least three years; and</p> <p>(4) Pass in 10th standard.</p> <p>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered.</p> <p>Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Deputation:</p> <p>Note 1: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall not exceed five year.</p> <p>The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding sixty five years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[F.No. NFRA-01/1/2019-Comp.-MCA]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.